संख्या : 90-दो(1)/XXXVI(1)(2)/2006-91-दो(1)/04

प्रेषक,

आर०डी०पालीवाल,
सचिव एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग - 2 देहरादून : दिनांक : 26 मार्च, 2007

विषय: रुद्रपुर, जिला ऊधमसिंहनगर में जिला न्यायाधीश के आवासीय भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 में धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 371/यू०एच०सी०/IX(b)/2004 एडमिन(बी), दिनांक 12.2.07 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2. इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 55-दो(1)/XXXVI(1)/2006-91-दो(1)/04,दिनांक 27.11.06 द्वारा स्वीकृत आगणन एवं धनराशि को **निरस्त** करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है रुद्रपुर, जिला ऊधमसिंहनगर में जिला न्यायाधीश के आवासीय भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 में लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार रु० 72,05,000/- के आगणन के विरुद्ध टी०ए०सी० द्वारा संस्तुत रु० 71,50,000/- (इकहत्तर लाख पचास हजार रुपये मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रु० 71,50,000/- (इकहत्तर लाख पचास हजार रुपये मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की भी स्वीकृति महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तो के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को, जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा । तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृत मान्य होगी ।

(2) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय ।

(3) कार्य को स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में लागत के पुनरीक्षण के लिए शासन द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी ।

(4) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य टेकअप किया जाय ।

(5) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरुप ही कार्यो को सम्पादित किया जाय ।

(6) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य कर ली जाय । निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय ।

(7) आगणन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय । एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय ।

(8) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय ।

(9) जी०पी०डब्ल्यू फार्म 9 की शर्तो के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा ।

(10) व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय । कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी/अधिशासी अभियन्ता पूर्णरुप से उत्तरदायी होगें ।

(11) निर्माण कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या 2047/XIV/219(2006), 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.3.2007 तक पूर्ण उपयोग कर स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाय ।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा-शीर्षक "4059-लोकनिर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य भवन-051-निर्माण-00-आयोजनागत-03-न्यायिक कार्यो हेतु भवनों का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा ।

4. यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या-119/XXVII(5)/2007, दिनांक 16.3.07 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(आर०डी०पालीवाल)
सचिव ।

संख्या-90-दो(1)/XXXVI(1)(2)/2006-91-दो(1)/04-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी), ओबराय बिल्डिंग, उत्तराचंल, माजरा, देहरादून ।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. जिला न्यायाधीश, ऊधमसिंहनगर ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर ।
5. मुख्य अभियन्ता, स्तर-।, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
6. परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-37, कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ०प्र० जल निगम, ऊधमसिंहनगर ।
7. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर ।
8. नियोजन विभाग,/वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन ।
9. एन०आई०सी०/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(एम०एम०सेमवाल)
अनु सचिव ।

26/03/2007